उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग अनुभाग–1
पत्रांकः 1024/XXVii(1)/2016
दिनांक : 06 सितम्बर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या सी–13015(460)MFCGA/PFMS/2016–17/1136–1165 दिनांक 24 जून, 2016 द्वारा केन्द्र सेक्टर तथा राज्य सेक्टर को विभिन्न स्कीमों में दिये जाने वाले अनुदानों/निधियों को तत्क्षण समय पर जारी करने, सीधे लाभार्थियों को त्वरित भुगतान करने एवं इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के साथ ही केन्द्रीकृत पर्यवेक्षण के लिए राज्य में Public Fund Management System (PFMS) को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे समस्त विभाग जिन्हें भारत सरकार से विभिन्न स्कीमों में निधि/अनुदान प्राप्त होता है, उन विभागों में भारत सरकार से निधि/अनुदान प्राप्त करने के लिए Public Fund Management System (PFMS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी हैं :–

1. वित्त विभाग के स्तर से उक्त कार्ययोजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एडवाईजरी ग्रुप का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/29(150)/XXVii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा किया जा चुका है।
2. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 997/29(150)/XXVii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 996/29(150)/XXVii (1)/2016, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (DPMU) का गठन कर लिया गया है।
3. PFMS पोर्टल का कोषागार पोर्टल से FTP के माध्यम से इन्टीग्रेशन किया जा चुका है, जिससे दोनों पोर्टलों के मध्य डाटा का आदान–प्रदान, सिस्टम पर स्वतः एवं वास्तविक समय (Real Time) पर होगा।
4. राज्य बजट निदेशालय के द्वारा केन्द्रीय सी0एस0एस0/ई0ए0पी0 योजनाओं की राज्य सरकार की योजनाओं से मैपिंग की जा चुकी है।
5. PFMS के सम्बन्ध में सूचनाऐं वित्तीय डेटा सेंटर में स्थापित हेल्प डेस्क न0 8899890000 से प्राप्त की जा सकती हैं।

Public Fund Management System (PFMS) के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नवत् औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

1. समस्त विभाग अपने अधीनस्थ गठित ऐसे SPV एवं संस्थाओं, जिनके माध्यम से भारत सरकार से सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जाती है, को PFMS पोर्टल में राज्य स्तरीय संस्था (State Implementing Agency) के रूप में पंजीकृत करायेंगे। पंजीकरण हेतु PFMS पोर्टल

(pfms.nic.in) के मुख्य पृष्ठ पर पंजीकरण का icon उपलब्ध है। उक्त पंजीकरण के पश्चात सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के कार्यक्रम अनुभाग (प्रोजेक्ट डिवीजन) तथा मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा उक्तानुसार पंजीकृत एजेन्सीज को अनुमोदित किया जायेगा। तदपश्चात एजेन्सी उपलब्ध कराये गये लॉगिन आईडी एव पासवर्ड का प्रयोग करेगी।

2. PFMS के लिए प्रथम स्तर के State Implementing Agency (SIA) बनने के बाद निधि/धनराशि को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से विभागाध्यक्ष, जिला स्तर, ब्लाक स्तर एवं पंचायत स्तर तक जिस स्तर तक आवंटन किया जाना है, उन सभी स्तरो को Child Level agency के रूप में PFMS में पंजीकृत करवाया जाना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रत्येक स्तर का अपना पृथक–पृथक लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड होगा।
3. PFMS में पंजीकरण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया PFMS की वेबसाईट pfms.nic.in पर तथा कोषागार पोर्टल ekosh.uk.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
4. प्रत्येक प्रशासनिक विभाग अपने विभाग के लिए उक्त कार्यों के मानिटरिंग,स्कीमों की मैंपिंग, आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने एवं पत्राचार इत्यादि के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी, जो राज्य नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा।
5. PFMS के कियान्वयन के लिए राज्य एन0आई0सी0 तकनीकी नोडल अधिकारी होगा, जिसका दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित State Implementing Agency तथा निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी से समन्वय स्थापित करते हुए कोषागारों को Public Fund Management System से इन्टीग्रेशन, State Implementing Agency तथा Child Level agency के Public Fund Management System से पंजीकरण तथा Central Assistace Scheme to State Plan (CASP) से राज्य/केन्द की स्कीमों को मैंपिंग कराने में सहयोग करेंगे तथा किसी तकनीकी परामर्श की आवश्यकता पर तकनीकी परामर्श प्रदान करेगे।
6. PFMS के सफल संचालन, कियान्वयन,प्रशिक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर SPMU का गठन 23–लक्ष्मीरोड, देहरादून तथा DPMU का गठन जनपदीय कोषागारों में कर दिया गया है, जो विभिन्न हितधारकों के मध्य सामन्जस्य स्थापित कर समयबद्व रूप से योजना का कियान्वयन करायेंगे।
7. ऐसे विभाग जो लाभार्थियों को "**आधार**" के माध्यम से "**प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण**" योजना के अन्तर्गत धनराशि स्थानन्तरित करते हैं, वे PFMS पोर्टल के माध्यम से आधार बेस भुगतान भी कर सकते हैं। इसके लिए लाभर्थियों का विभागीय डाटाबेस से "**आधार**" नम्बर 'सीड' (Seeding) दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
8. ऐसे विभाग जो PFMS के माध्यम से लेन–देन नहीं करेंगे उन्हें भविष्य में भारत सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाला अनुदान/निधि बन्द की जा सकती है।

उपरोक्त कार्ययोजना के प्रगति के संदर्भ में प्रत्येक 15 दिनों में कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जायेगी।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

पत्रांक व दिनांक उक्तानुसार । 1024/XXVII(1)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. श्री अशोक लवासा, वित सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मीं रोड़, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव वित्त।